

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार,

प्रेषक :-

अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय,  
निदेशक(शोध एवं प्रशिक्षण)।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद,  
महेन्द्रु, पटना।  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक:- 21/4/12

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा योजना अन्तर्गत 2011-12 प्रथम किस्त के राशि 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) रू० की स्वीकृत राशि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-01-प्राथमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-अध्यापक प्रशिक्षण, समूह शीर्ष -केन्द्र प्रायोजित योजना, उप शीर्ष 0601-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विपत्र कोड संख्या-सी 2202011070601, विषय शीर्ष-4201-एक मुश्त प्रावधान, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2011-12 में आपके निस्तारार्थ विवरणी I एवं II में अंकित राशि के अनुसार कुल 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) रू० मात्र सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं एक्सन रिसर्च मद में डायट एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के लिए आवंटित की जाती है।

2. मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
3. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
4. पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि-2) दिनांक-17.04.1998 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-116, दिनांक-30.01.2012 के आलोक में आवंटित है।
8. राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

विश्वासभाजन,

(अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय),  
निदेशक(शोध एवं प्रशिक्षण)।

अम  
17/4/12

शिक्षा विभाग  
बिहार सरकार,

प्रेषक :-

अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय,  
निदेशक(शोध एवं प्रशिक्षण)।

सेवा में,

निदेशक,  
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद,  
महेन्द्र, पटना।  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक:-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा योजना अन्तर्गत 2011-12 प्रथम किस्त के राशि 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) रु० की स्वीकृत राशि का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-01-प्राथमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-अध्यापक प्रशिक्षण, समूह शीर्ष -केन्द्र प्रायोजित योजना, उप शीर्ष 0601-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विपत्र कोड संख्या-सी 2202011070601, विषय शीर्ष-4201-एक मुश्त प्रावधान, के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2011-12 में आपके निस्तारार्थ विवरणी I एवं II में अंकित राशि के अनुसार कुल 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) रु० मात्र सेवा कालीन प्रशिक्षण एवं एक्सन रिसर्च मद में डायट एवं अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के लिए आवंटित की जाती है।

2. मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी०भी० नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
3. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
4. पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।
5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि-2) दिनांक-17.04.1998 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-116, दिनांक-30.01.2012 के आलोक में आवंटित है।
8. राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय),  
निदेशक(शोध एवं प्रशिक्षण)।

ज्ञापांक :- 317

पटना, दिनांक:- 21/12/12

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, / उप कोषागार / निदेशक, (शोध एवं प्रशिक्षण) / अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी-5 / सहायक-5 (एक प्रति में) / रोकडपाल / लेखापाल / विपत्र लिपिक (दो प्रतियों में) / आई० टी० मैनेजर / सी० एम० डी० सेन्टर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय),  
निदेशक(शोध एवं प्रशिक्षण)।

17/12/12

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-01-प्राथमिक शिक्षा, लघुशीर्ष-107 अध्यापक प्रशिक्षण, समूह शीर्ष-केन्द्र प्रायोजित, उप शीर्ष-0601-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, विपत्र कोड-सी0 2202011070601विषय शीर्ष -4201एक मुश्त प्रावधान के अन्तर्गत ।

क्रमांक	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय	जिला का नाम	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के लिए
1	2	3	4
1	तुरकी	मुजफ्फरपुर	667000
2	समस्तीपुर	समस्तीपुर	666600
3	छपरा	सारण	666600
4	सहरसा	सहरसा	666600
5	गया	गया	666600
6	भागलपुर	भागलपुर	666600
			<b>4000000</b>

कुल (चालीस लाख) मात्र ।

(अखिलेश्वर कुमार पाण्डेय)  
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

अखिलेश्वर  
17/2/12